

न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो सिविल/वन पंचायत वन भूमि ली गयी है, वह न्यूनतम है तथा लो0नि0वि0 मानक के अनुसार इससे कम भूमि में मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।

अमीन

कमिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वरएम० ए० विष्ट
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र...पटवारी
तहसील चमोली
जनपद-चमोली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी,

जिलाधिकारी
चमोलीप्रभागीय वनाधिकारी
'कडीनाथ वन प्रमाण, गोपेश्वर'